<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2716

11 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के कर्मचारियों से संबंधित मामला

2716. श्री संजय सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय/सीवीसी को फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल), जो इस्पात का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, के प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध कोई शिकायत और सूचना प्रदाताओं/ईमानदार अधिकारियों के विरुद्ध झूठे मामले तैयार करने, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, हटाने और बर्खास्त करने की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घटनाओं की प्रकृति क्या है;

(घ) सरकार द्वारा फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार को रोकने और संबंधित कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए कौन-कौन से विभिन्न प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) उक्त प्रयासों के परिणाम क्या रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ग): विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के विरुद्ध पीएमओ/सीवीसी में दस शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो व्हिस्ल ब्लोअर/ईमानदार अधिकारियों के विरुद्ध गलत मामलों की फ्रेमिंग, कर्मचारियो को हटाने और उन्हें बर्खास्त करने से संबंधित हैं।

(घ) और (ङ): एफएसएनएल के कार्यचालन की निगरानी के लिए इस्पात मंत्रालय और एफएसएनएल में एक निर्धारित प्रणाली है, ताकि व्हिस्ल ब्लोअर्स की सेवा समाप्ति, अनुचित व्यवहार, अनियमितताओं तथा कदाचार पर रोक लगाई जा सके। इस विषय में प्राप्त ऐसी सभी शिकायतों का निपटान आचार, अनुशासन एवं अपील नियमावली (सीडीए नियम) तथा एफएसएनएल के स्थायी कार्य आदेश और सतर्कता मैनुअल के साथ-साथ भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। नियंत्रण और संतुलन की यह महत्वपूर्ण प्रणाली सुनिश्चित करती है कि एफएसएनएल के कर्मचारियों की शिकायतों का पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से उचित और प्रभावी निवारण किया जाए।

***